राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 145/2015 **GCMS No.2015/00775**

झूंमा देवी पुत्री बोदूराम जाति कुम्हार उम्र ..... वर्ष निवासी श्यामपुरा पटवार हल्का नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादीया

ब–ना–म

1. कोशल्या देवी पुत्री स्व. गोकल पत्नी पूरणमल जाति कुमावत निवासी ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी हाल आबाद जाखोद रोड़ चेजारा मोहल्ला वार्ड नं. 14 सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं, राज0
2. कलावती देवी पुत्री स्व. गोकल पत्नी बुद्धराम जाति कुमावत निवासी श्यामपुरा तहसील खेतड़ी हाल आबाद सीकर पिपराली रोड़ बाईपास दोबिचा की मस्जिद वार्ड नं. 40 सीकर जिला सीकर, राज0
3. हीरालाल पुत्र फूलाराम जाति कुमावत निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील खेतड़ी हाल आबाद झालाना डूंगरी धर्मकाटा के पास आर.टी.ओ. ऑफिस, जयपुर।
4. सरबती उर्फ सम्पती पुत्री फूलाराम पत्नी बलजीत जाति कुमावत निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील खेतड़ी हाल आबाद ग्राम लाडनपुर (ढाणा) तहसील व जिला भिवानी, हरि0
5. राजस्थान सरकार जरिये भू स्वामी तहसीलदार, खेतड़ी।

........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

::निर्णय:: **दिनांक : 17.11.2025**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2022 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि वाके ग्राम श्यामपुरा स्थित भूमि खाता संख्या 25 खसरा नंबर 348, 349, 351, 355 कुल किता 4 कुल रकबा 2.51 है. भूमि में वादिया का 1/2 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 1/4 हिस्से का एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 का 1/4 हिस्से का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार खेतड़ी को 400 रू. के खर्चे पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 [illegible] नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य [illegible] रखते हुये विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान को पूर्व सूचना देकर तैयार कर प्रस्तावित विभाजन हेतु तहसीलदार खेतडी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार खेतडी ने अपने [illegible] क्रमांक भू.अ. / 2025/ 11507 दिनांक 19.06.2025 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:56:57 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकरान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकरान ने तहसीलदार खेतडी द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.06.2025 के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी

अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.06.2025 (प्रदर्श –''अ–1 लगायत अ–7'' तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श–''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.06.2025 (प्रदर्श –''अ–1 लगायत अ–7'' तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श–''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.06.2025 (प्रदर्श –''अ–1 लगायत अ–7'' तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श–''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाता है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.06.2025 के अनुसार अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.06.2025 (प्रदर्श –''अ–1 लगायत अ–7'' तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श–''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगें। तहसीलदार खेतडी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श– ''ब'' के अनुसार सीमाकांन करवायेगें। रहन यदि कोई हो तो खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हक हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:56:57 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 145 / 2015

निर्णय दिनांक :– **17.11.2025**

GCMS No.2015/00775

झुमा देवी बनाम कौशल्या देवी आदि

दावा बाबत – **खाता विभाजन**

वादीगण की ओर से **श्री मानसिंह मान एडवोकेट** की उपस्थिति व प्रतिवादीगण की ओर से श्री सुभाष कुमावत एडवोकेट की उपस्थित में इस वाद में आज तारीख **17.11.2025** को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

" अतः वाद वादीया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.06.2025 (प्रदर्श –"अ–1 लगायत अ–7" तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श–"ब") के अंतिम डिक्री किया जाता है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.06.2025 के अनुसार अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.06.2025 (प्रदर्श –"अ–1 लगायत अ–7" तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श–"ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगें। तहसीलदार खेतडी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श– "ब" के अनुसार सीमाकांन करवायेगें। रहन यदि कोई हो तो खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे / हक हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **17.11.2025** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:56:57 IST
Reason: SelfAttested